

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसौटिया, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 51/2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री प्रेमराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम बोरानाड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 02.श्रीमती मनू देवी पत्नी श्री गिरधारीराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम कुई जोधा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर ।		01.भूराराम पुत्र श्री कालूरामजी, जाति मेघवाल, निवासी प्लेट नं0 409, जे बी हाईट्स गंगाणा फांटा, पाल, जोधपुर । 02.सीताराम पुत्र श्री गोबरराम, जाति मेघवाल, निवासी मेघवालों का बास, ग्राम सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर । 03.तुलछाराम पुत्र श्री घमण्डारामजी, जाति मेघवाल, निवासी 40 बी, राजेन्द्र नगर, गुड़ा रोड़, झालामण्ड, जोधपुर । 04.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी । 05.सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

अधिवक्तागण: -

- 01.प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत ।
- 02.अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
- 03.अप्रार्थी संख्या चार की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।
- 04.अप्रार्थी संख्या पांच की तरफ से अधिवक्ता श्री अनोप सिंह सोलंकी ।

निर्णय

दिनांक :- 9/9/2024

पत्रावली में बहस सुनी गयी। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी संख्या एक ग्राम बोरानाड़ा के निवासी हैं तथा वादी संख्या दो की ओर से वादी संख्या एक के पक्ष में आममुखत्यारनामा निष्पादित कर रखा है जिसके आधार पर प्रार्थीगण की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है । प्रार्थीगण की खरीदसुदा खातेदारी की कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा वाके राजस्व ग्राम सालावास पटवार क्षेत्र सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई है जो भूमि प्रार्थीगण द्वारा खातेदार कानाराम पुत्र मिसरुराम मेघवाल से दिनांक 05.02.2007 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के खरीद किया जो बेचाननामा उपपंजीयक के यहां पंजीबद्ध है जिसके आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया गया । जो भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा सालावास बोरानाड़ा मुख्य सड़क पर स्थित है । प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा के पूर्वी दिशा में कटाणी रास्ता स्थित है जो पूर्व में गोये के रूप में कटाणी रास्ता था जो खसरा संख्या 52/1 के रूप में कायम है। तथा उपरोक्त खसरा संख्या 52/1 के पूर्वी दिशा में खसरा संख्या 52/मी.2 भूमि आई हुई है जो मूलाराम वगैरा की खातेदारी की कृषि भूमि को अर्थात् प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि एवं मूलाराम वगैरा की कृषि भूमि के बीच में



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कटाणी रास्ता जो कि खसरा संख्या 52/1 के रूप में हैं । खसरा संख्या 52/मी.2 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि मूलाराम वगैरा के खातेदारी में दर्ज हुई तथा गैर मुमकिन कटाणी रास्ता खसरा संख्या 52/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा गैर मुमकिन सड़के के रूप में दर्ज रही तत्पश्चात राज्य सरकार राज पत्र दिनांक 30.01.2003 के द्वारा ग्राम सालावास की भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही रीको के माध्यम से की गयी जिसमें रीको द्वारा सड़क एवं नाले हेतु भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही की गयी जिस पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से 01 बिस्व भूमि अवाप्त की गयी जिसका मुआवजा तत्पश्चात के खातेदार कानाराम द्वारा प्राप्त किया गया और इसी के साथ खसरा संख्या 52/मी.2 जो कि मूलाराम की कृषि भूमि थी उसमें से रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि अवाप्त की गयी जिसका मुआवजा मूलाराम वगैरा द्वारा प्राप्त किया गया इस प्रकार खसरा संख्या 52/मी 2 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के पश्चात 09 बीघा 05 बिस्वा भूमि मूलाराम के खातेदारी में दर्ज रही जो भूमि खसरा संख्या 52/1 के पूर्वी दिशा में स्थित थी तथा खसरा संख्या 52/1 गैर मुमकिन रास्ते के पश्चिम दिशा में प्रार्थीगण की भूमि थी जो दस्तावेजों से स्पष्ट हैं तत्पश्चात मूलाराम वगैरा द्वारा अपनी शेष भूमि रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा भूमि को अलग अलग लोगों को विक्रय की जिसमें मानाराम पुत्र मांगीलाल को 01 बीघा भूमि विक्रय की जो राजस्व रेकॉर्ड में 52/1 रकबा 01 बीघा के रूप में दर्ज रही जिसको मानाराम ने अप्रार्थी संख्या एक भूराराम को विक्रय की जो आज दिन प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी में खसरा संख्या 52/1 रकबा 01 बीघा के रूप में दर्ज हैं इसी प्रकार मूलाराम ने रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि सीताराम पुत्र गोबरराम को विक्रय की जो आज दिन प्रतिवादी संख्या दो व तीन के नाम से खसरा संख्या 52/6 के रूप में दर्ज हैं तथा रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 52/4 के रूप में जुगलकिशार के नाम से दर्ज हैं तथा खसरा संख्या 52/5 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रेमाराम के नाम से दर्ज हैं तथा जो भूमि रीको द्वारा अवाप्त की गयी वह भूमि खसरा संख्या 52/2 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि के रूप में राज्य सरकार के खाते में दर्ज हैं इस प्रकार मूलाराम वगैरा की कुल रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 52/3, 52/2, 52/4, 52/5 एवं 52/6 के रूप में राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हैं जो कि मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क के पूर्वी दिशा में स्थित हैं तथा इस सड़क के पश्चिम दिशा में वादीगण की खसरा संख्या 52 की रकबा 22 बीघा 12 बिस्व भूमि स्थित हैं परन्तु हल्का पटवारी एवं राजस्व कर्मचारीयों द्वारा अप्रार्थीगण से सांठ गांठ कर खसरा संख्या 52/2 एवं खसरा संख्या 52/6 की भूमि की गलत एवं अशुद्ध तरमीम वादीगण की भूमि खसरा संख्या 52 में कर दी गयी जो कि वादीक को जानकारी में लाये वगैर एवं बिना सुनवाई के की गयी जो प्रार्थीगण के अधिकारों के विरुद्ध शुन्य हैं परन्तु राजस्व रेकॉर्ड नक्शे में प्रार्थीगण की भूमि पर इन्द्राज की गयी जिसे दुरुस्त करवाने हेतु यह



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लखी

वाद प्रस्तुत किया हैं ऐसी स्थित मे खसरा संख्या 52/2 रकबा 01 बीघा एवं खसरा संख्या 52/6 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा ग्राम सालावास की भूमि को आगे विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित की जावेंगी । प्रार्थीगण की भूमि एवं मूलाराम वगैरा की भूमि के मध्य कटाणी रास्ता था तथा जो भाग सड़क के पास में अप्रार्थी का आता था वह राज्य सरकार द्वारा सड़क प्रयोजनार्थ एवं नाला निर्माण हेतु अवाप्त कर लिया गया एवं अवाप्ति हूत विधिवत् कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाकर मुआवजा खातेदारान को अदा कर दिया गया जिससे स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण की भूमि मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क पर स्थित हैं तथा उसके पूर्व दिशा में खसरा संख्या 52/1 एवं 52/3 की भूमि जो कि राज्य सरकार की अवाप्त सुदा भूमि हैं तथा उसके पूर्व तरफ अप्रार्थी एवं मूलाराम वगैरा की भूमि हैं परन्तु तथाकथित तरमीम दिखाते हुए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 को खसरा संख्या 52/3 के पश्चिम दिशा में जो कि खसरा संख्या 52 की भूमि हैं में इन्द्राज कर दिया जो कि गलत हैं प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त दुरुस्ती को शुद्ध करवाने हेतु राज्य कर्मचारियों से निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की तथा अशुद्ध तरमीम का हवाला देते हुए खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 का संपरिवर्तन करवाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के समक्ष आवेदन करते हुए मनमाने तौर पर भू परिवर्तन करवा कर वादी को बेदखल करने की धमकी दे रहें हैं ताकि राजस्व न्यायालय ऐसी तरमीम को न हटा पाये और अशुद्ध तरमीम की आड़ में वादी की भूमि का गलत रूप से संपरिवर्तन करवा कर वादी को बेदखल कर देवें जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा यह वाद बाबत् रेकार्ड दुरुस्ती हेतू प्रस्तुत किया जा रहा हैं जिसके तहत अशुद्ध तरमीम के तहत दर्ज खसरा संख्या 52/2 व 52/6 के अशुद्ध तरमीम हटा कर उसे सड़क के पूर्वी दिशा में किया जावें तथा वादीगण की भूमि खसरा नं0 52 की तरमीम शुद्ध की जावें तथा खसरा संख्या 52/2 व 52/6 की तरमीम हटाई जावें जिसके लिये उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा विकल्प नहीं हैं । अप्रार्थीगण मनमाने तौर पर राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अशुद्ध तरमीम इन्द्राज वादीगण की भूमि पर खसरा संख्या 52/2 व 52/6 के रूप में करवा दी हैं जिसकी आड में अप्रार्थीगण सांठ गांठ पूर्वक भू उपयोग परिवर्तन करवा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं तथा उनका मकसद प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करना एवं भू उपयोग परिवर्तन करवाते हुए राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाकर तरमीम शुद्ध न हो इसके लिए आमदा हैं तथा उसकी आड़ में प्रार्थीगण की भूमि के पटटे अपनी भूमि बता कर उठा देने का हैं जिसके लिये प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण से भी ऐसा न करने हेतु आग्रह किया परन्तु उन्होने तरमीम होने के कारण कोई उचित कदम न उठाने की बात कही तथा तरमीम शुद्ध होने पर ही प्रार्थी की बात सुनने को कहा ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लखी

जाना आवश्यक है कि वे खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की भूमि को तथाकथित तरमीम के आधार पर भू उपयोग परिवर्तन नहीं करवाये तथा प्रार्थीगण को खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा जो कि सालावास बोरानाड़ा सड़क पर स्थित हैं से बेदखल नहीं करें जिसके लिये यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का भू उपयोग करवाने हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण में आवेदन किया था जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका रिपोर्ट बनाई गयी जिसमें वादीगण की भूमि खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा को मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क पर दिखाया गया जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त सड़क पर प्रार्थीगण की भूमि है तथा अप्रार्थीगण की भूमि किसी भी रूप में सड़क के पश्चिम दिशा में नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध डिक्री पारित किया जाना कानूनी लाजमी है जिसके लिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां यह लिखना उचित होगा कि मूलाराम वगैरा की भूमि खसरा संख्या 52/मी2 जो अवाप्ति के बाद 09 बीघा 05 बिस्वा भूमि शेष रहीं हैं जिसमें खसरा संख्या 52/4 व 52/5 के खातेदारान द्वारा अपनी भूमि से अधिक रकबे पर काबिज होकर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के समक्ष नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट अंकित किया कि खसरा संख्या 52/4 एवं 52/5 में 2080 वर्गगज भूमि अधिक है वास्तव में उपरोक्त भूमि मूलाराम वगैरा की खातेदारी की भूमि है जो अन्य खातेदारों के कब्जे में होने के कारण उनसे न लेकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि पर अशुद्ध तरमीम करवा दी है एवं अब गलत रूप से भू उपयोग परिवर्तन करवा रहे हैं जो पूर्णतः गलत है जिस तरमीम को शुद्ध किया जाकर खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 भूमि की गलत तरमीम को नक्शे से हटाया जाकर खसरा संख्या 52 की शुद्ध तरमीम माफिक दस्तावेज किये जाना कानूनी लाजमी है जिसके लिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है इस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से आग्रह किया तो वे नहीं माने एवं उल्टे जबरदस्ती भू उपयोग करवा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं एवं आये दिन जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के कर्मचारियों से सांठ गांठ कर भू उपयोग परिवर्तन करवाने की फिराक में हैं जबकि उनको ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादी के पास उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अप्रार्थी संख्या चार राज्य सरकार हैं एवं प्रतिवादी संख्या पांच जोधपुर विकास प्राधिकरण हैं परन्तु प्रार्थी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का एवं अर्जेन्ट नेचर का वाद है यदि वादी नोटिस देकर वाद प्रस्तुत करें तो वादी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा इन परिस्थितियों में प्रार्थी को बिना नोटिस के वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा धारा 80 सीपीसी एवं धारा 74 जोधपुर विकास प्राधिकरण की छूट प्रदान के साथ उपरोक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी खसरा संख्या 52 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार है जो राजस्व रेकॉर्ड से भली भांति स्पष्ट है परन्तु तथाकथित तरमीम के आधार पर प्रतिवादी की भूमि खसरा संख्या 52/2 व 52/6 को



सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी
लुणी

खसरा संख्या 52/3 के पश्चिम में दर्शा दिया गया है जो कि अशुद्ध है जिसको शुद्ध करवाने हेतु वाद प्रस्तुत है परन्तु अप्रार्थीगण अशुद्ध तरमीम के आधार पर भू उपयोग परिवर्तन करवाने की कार्यवाही कर रहे हैं एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं जिनको उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक खसरा संख्या 52/2 व 52/6 का भू उपयोग परिवर्तन अशुद्ध तरमीम के आधार पर नहीं करावें तथा पटटे नहीं उठावे तथा प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें और प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें प्रार्थीगणके पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण के गैर कानूनी कृत्य से प्रार्थीगण को अपूर्ण्य क्षति हो रही है जिसके लिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक है । अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मूल वाद के निस्तारण तक खसरा संख्या 52 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा जो कि खसरा संख्या 52/3 के पश्चिम दिशा में मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क पर स्थित है जिसमें दखल हस्तक्षेप नहीं करें तथा खसरा संख्या 52/2 व 52/6 का भू उपयोग परिवर्तन कर पटटा नहीं उठावें तथा अप्रार्थी संख्या पांच को पाबंद किया जावे कि वो खसरा संख्या 52/2 व 52/6 का भू उपयोग परिवर्तन नहीं करें एवं न ही पटटे जारी करें तथा अप्रार्थीगण मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा उनकी तरफ से जवाब भी पेश किया जो कि निम्न प्रकार से है:-

यह है कि अपंजीकृत आममुखत्यारनामों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कानूनन कोई अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि को प्रार्थीगण द्वारा किससे खरीद की गयी यह प्रार्थीगण स्वयं ही सिद्ध करें । प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि मुख्य सालावास-बोरानाड़ा पर स्थित है बल्कि सही तथ्य ये है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 52 एवं मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क के मध्य जवाबदाता अप्रार्थीगण की पटटा सुदा जायदाद आयी हुई स्थित है जिसके खसरा संख्या 52/6 है एवं जिसका पटटा जेडीए जोधपुर द्वारा नियमानुसार



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
खणी

कब्जे एवं दस्तावेजों की जाँच उपरांत जवाबदाता अप्रार्थीगण के हक में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में पट्टा सुदा जायदाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है उक्त तथ्य प्रार्थीगण द्वारा छुपाते हुए यह वाद पेश किया गया है जो कि इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। खसरा संख्या 52 की कृषि भूमि पूर्व दिशा की तरफ कटाणी रास्ते पर न तो कभी पूर्व में थी एवं न ही वर्तमान में है। सालावास बोरानाडा मुख्य सड़क के पश्चिम दिशा की तरफ रिको द्वारा निर्मित नाले की भूमि है तथा नाले के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खसरा संख्या 52/2 व 52/6 की जायदाद स्थित है जिसकी मूल राजस्व नक्शों एवं ऑनलाईन नक्शे में भी तरमीम दर्ज है जिस तरमीम अनुसार ही अप्रार्थी संख्या एक व तीन खसरा संख्या 52/2 व 52/6 की जायदाद पर बहैसियत मालिक के काबिज हैं। खसरा संख्या 52/6 की जायदाद का तो जेडीए जोधपुर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के हक में अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते हुए पट्टा विलेख भी जारी किया जा चुका है जो कि नियमानुसार कब्जे काशत एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात की जाँच उपरान्त ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है जिस पर जवाबदाता अप्रार्थीगण बहैसियत मालिक काबिज हैं। यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन की मुख्य सड़क पर पश्चिम दिशा पर स्थित खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की जायदाद को छोड़कर भी प्रार्थीगण का खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा से भी अधिक भूमि पर कब्जा है। मूल खसरा संख्या 52 एवं इनके समस्त बट्टा नम्बर की राजस्व नक्शे में भी तरमीम दर्ज है एवं उसी अनुसार समस्त खातेदारान मौके पर काबिज हैं। प्रार्थीगण के कब्जे में भी अपनी खातेदारी से अधिक भूमि का कब्जा वर्तमान में है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि केवल मात्र खरिज किये जाने योग्य है। जवाबदाता अप्रार्थीगण की जायदाद मुख्य सड़क पर पहले से ही स्थित थी एवं वर्तमान में भी स्थित है। पूर्व में जो अवाप्ति की कार्यवाही की गयी थी उसका कोई सरोकार इस प्रकरण से नहीं है। प्रार्थीगण को बेचान करने वाले मूल खातेदार कानाराम का भी कब्जा मुख्य सड़क पर कभी नहीं रहा था एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा खरीद करने के पश्चात प्रार्थीगण का मुख्य सालावास बोरानाडा सड़क पर कब्जा है। प्रार्थीगण की खातेदारी से अधिक भूमि का कब्जा जवाबदाता अप्रार्थीगण के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है एवं उसके पश्चात पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित है। कोई भी संपरिवर्तन की कार्यवाही होती है तो वह कब्जा एवं दस्तावेजों



सहायक कागजदार एवं उपखण्ड अधिकारी,
खसरी

की जाँच उपरान्त की जाती हैं। जवाबदाता अप्रार्थीगण के कब्जे एवं दस्तावेजों की जाँच उपरान्त ही राजस्व नक्शों में दर्ज तरमीम एवं मौके पर काबिज अनुसार खसरा संख्या 52/6 का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है एवं पट्टा विलेख भी जवाबदाता अप्रार्थीगण के हक में जारी किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत से पूर्व ही खसरा संख्या 52/6 की जायदाद को अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किये जा चुके थे जिसको भी प्रार्थीगण द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गयी है अकृषिक प्रयोजनार्थ जायदाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है एवं न ही आज दिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 52/6 के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा की गयी संपरिवर्तन कार्यवाही को कहीं चुनौती दी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की कोई अशुद्ध तरमीम राजस्व नक्शों में नहीं है बल्कि एकदम सही एवं वास्तविक तरमीम राजस्व नक्शों में मौके पर काबिज अनुसार हैं। खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की जो राजस्व नक्शों में तरमीम दर्ज हैं वह सही एवं मौके पर काबिज अनुसार ही हैं। किसी प्रकार से कोई गलत तरमीम दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुती से पूर्व ही जेडीए जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 52/6 को अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किये जा चुके थे जिनकी जानकारी प्रार्थीगण को होते हुए भी आज दिनांक तक उक्त संपरिवर्तन आदेश को कहीं भी चुनौती नहीं दी गयी एवं उक्त खसरा संख्या 52/6 वाद प्रस्तुती से पूर्व ही जेडीए जोधपुर के नाम से दर्ज है तत्पश्चात पट्टा विलेख भी जारी किये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब खसरा संख्या 52/6 की जायदाद की वाद प्रस्तुती से पूर्व ही प्रकृति कृषि भूमि नहीं थी तो किस आधार पर प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया यह समझ से परे है। प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुती से पूर्व ही यह पूर्ण जानकारी रही कि उक्त जायदाद का भू उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किया जा चुका है इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गयी एवं माननीय न्यायालय में गलत रूप से क्षेत्राधिकार से परे जाकर मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में तथ्यों को छुपाते हुए गलत रूप से आवेदन जेडीए जोधपुर में किया गया था जिस पत्रावली में सही तथ्य प्रकट होने पर वादीगण द्वारा उक्त पत्रावली में की गयी कार्यवाही को निरस्त करवा दिया गया। खसरा संख्या



सहायक कालक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सभी

52 के अन्य बट्टा नं० की जायदाद के खातेदार क्या कार्यवाही करें क्या नहीं करें इससे प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदार का कोई सरोकार नहीं रहता है । प्रार्थीगण स्वयं भी अपने खातेदारी से अधिक हिस्से की भूमि पर काबिज हैं इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण के कब्जे की मालिकाना हक की जायदाद में उल्टा प्रार्थीगण दखल अंदाजी कर रहें हैं । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन की जो जायदाद खसरा संख्या 52, 52/2 व 52/6 राजस्व नक्शों में तरमीम सुदा दर्ज हैं उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो अप्रार्थी संख्या चार व पांच के विरुद्ध मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह बिना नोटिस दिये नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसा कोई अर्जेंट नेचर का मामला ही नहीं बनता है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र केवल मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है क्योंकि राजस्व नक्शों में दर्ज विधिवत् तरमीम के अनुसार ही जवाबदाता अप्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं एवं प्रार्थीगण भी राजस्व नक्शों में दर्ज तरमीम अनुसार ही मौके पर अपनी खातेदारी से भी अधिक भूमि पर काबिज हैं एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं न ही कोई अपूर्णाय क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है बल्कि यदि अस्थायी निशेधाज्ञा जारी की गयी तो जवाबदाता अप्रार्थीगण को अपूर्णाय क्षति होगी जिसकी भरपायी नहीं की जा सकती है । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र खारिज किये जाने योग्य हैं । प्रार्थीगण द्वारा जो अंतिम पद में इस्तदुआ चाही गयी है उसे प्राप्त करने के कोई आधार नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र खारिज किये जाने योग्य हैं। अंत में निवेदन किया कि:- अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें एवं जवाबदाता अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से वाद व्यय दिलवाया जावें ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तार से दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के हक मे प्रतीत होता है क्योंकि कि अप्रार्थी के खसरा नम्बर 52/2 व 52/6 की तरमीम अशुद्ध हो रखी है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है वही प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी यदि प्रार्थी के खसरान् की तरमीम शुद्ध नही की जाती है एवम् अप्रार्थी गैर विधिक रूप से प्रार्थी की भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लेगा वही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा आगे सुविधा के सन्तुलन पर कथन किया कि यदि प्रार्थी की भूमि की तरमीम शुद्ध नही की जाती है तो प्रार्थी



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रानी

को उसकी भूमि से अप्रार्थी द्वारा बेदखल कर दिया जायेगा अतः—प्रथम दृष्ट्या, अपूर्णनीय क्षति एवम सुविधा का सन्तुलन तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है ऐसे में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार फरमाया जावे।

इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा अपने जवाब के तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखित बहस पेश की जो कि निम्न प्रकार से हैं:—यह है कि अपंजीकृत आममुखत्यारनामें के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कानूनन कोई अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि मुख्य सालावास—बोरानाड़ा पर स्थित है बल्कि सही तथ्य ये हैं कि प्रार्थीगण खसरा संख्या 52 एवं मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क के मध्य अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन की पट्टा सुदा जायदाद आयी हुई स्थित है जिसके खसरा संख्या 52/6 हैं एवं जिसका पट्टा जेडीए जोधपुर द्वारा नियमानुसार कब्जे एवं दस्तावेजों की जाँच उपरांत जवाबदाता अप्रार्थीगण के हक में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में पट्टा सुदा जायदाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है उक्त तथ्य प्रार्थीगण द्वारा छुपाते हुए यह मूल वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं। खसरा संख्या 52 की कृषि भूमि पूर्व दिशा की तरफ कटाणी रास्ते पर न तो कभी पूर्व में थी एवं न ही वर्तमान में है। सालावास बोरानाड़ा मुख्य सड़क के पश्चिम दिशा की तरफ रिको द्वारा निर्मित नाले की भूमि है तथा नाले के पश्चात अप्रार्थी संख्या एक से तीन की खसरा संख्या 52/2 व 52/6 की जायदाद स्थित है जिसकी मूल राजस्व नक्शों एवं ऑनलाईन नक्शों में भी तरमीम दर्ज है जिस तरमीम अनुसार ही अप्रार्थी संख्या एक व तीन खसरा संख्या 52/2 व 52/6 की जायदाद पर बहैसियत मालिक के काबिज हैं। खसरा संख्या 52/6 की जायदाद का तो जेडीए जोधपुर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के हक में अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करते हुए पट्टा विलेख भी जारी किया जा चुका है जो कि नियमानुसार कब्जे काश्त एवं सम्पूर्ण दस्तावेजात की जाँच उपरान्त ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है जिस पर अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन बहैसियत मालिक काबिज हैं। यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन की मुख्य सड़क पर पश्चिम दिशा पर स्थित खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की जायदाद को छोड़कर भी प्रार्थीगण का खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा से भी अधिक भूमि पर कब्जा



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लखी

हैं। मूल खसरा संख्या 52 एवं इनके समस्त बट्टा नम्बर की राजस्व नक्शे में भी तरमीम दर्ज हैं एवं उसी अनुसार समस्त खातेदारान मौके पर काबिज हैं। प्रार्थीगण के कब्जे में भी अपनी खातेदारी से अधिक भूमि का कब्जा वर्तमान में हैं। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि केवल मात्र खरिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन की जायदाद मुख्य सड़क पर पहले से ही स्थित थी एवं वर्तमान में भी स्थित हैं। पूर्व में जो अवाप्ति की कार्यवाही की गयी थी उसका कोई सरोकार इस प्रकरण से नहीं है। प्रार्थीगण को बेचान करने वाले मूल खातेदार कानाराम का भी कब्जा मुख्य सड़क पर कभी नहीं रहा था एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा खरीद करने के पश्चात प्रार्थीगण का मुख्य सालावास बोरानाड़ा सड़क पर कब्जा है। प्रार्थीगण की खातेदारी से अधिक भूमि का कब्जा अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के पश्चिम दिशा की तरफ स्थित हैं एवं उसके पश्चात पश्चिम दिशा की तरफ कटाणी रास्ता आया हुआ स्थित हैं। कोई भी संपरिवर्तन की कार्यवाही होती है तो वह कब्जा एवं दस्तावेजों की जाँच उपरान्त की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के कब्जे एवं दस्तावेजों की जाँच उपरान्त ही राजस्व नक्शों में दर्ज तरमीम एवं मौके पर काबिज अनुसार खसरा संख्या 52/6 का अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया जा चुका है एवं पट्टा विलेख भी अप्रार्थीगण संख्या दो व तीन के हक में जारी किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुत से पूर्व ही खसरा संख्या 52/6 की जायदाद को अकृषिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किये जा चुके थे जिसको भी प्रार्थीगण द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गयी है। अकृषिक प्रयोजनार्थ जायदाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है एवं न ही आज दिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 52/6 के सम्बन्ध में जेडीए द्वारा की गयी संपरिवर्तन कार्यवाही को कहीं चुनौती दी गयी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद एवं यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र इसी आधार पर खरिज किये जाने योग्य हैं। खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की कोई अशुद्ध तरमीम राजस्व नक्शों में नहीं हैं बल्कि एकदम सही एवं वास्तविक तरमीम राजस्व नक्शों में मौके पर काबिज अनुसार हैं। खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 की जो राजस्व नक्शों में तरमीम दर्ज हैं वह सही एवं मौके पर काबिज अनुसार ही हैं। किसी प्रकार से कोई गलत तरमीम दर्ज नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुती से पूर्व ही जेडीए जोधपुर द्वारा खसरा संख्या 52/6 को अकृषिक प्रयोजनार्थ



महानगर जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी
रज्जी

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केवल मात्र खारिज किये जाने योग्य हैं एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावें एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से वाद व्यय दिलवाया जावें ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यहीं प्रतीत होता है कि खसरा संख्या 52/2 एवं 52/6 अप्रार्थी संख्या दो व तीन की रेकर्डेड जायदाद हैं जिसकी राजस्व नक्शे में भी तरमीम दर्ज हैं । किसी भी जायदाद का यदि भू उपयोग संपरिवर्तन होता है तो वह राजस्व नक्शे एवं मौके पर काबिज स्थिति अनुसार किया जाता है । खसरा संख्या 52/6 का तो भू उपयोग परिवर्तन होकर के जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज की जा चुकी है एवं अप्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 52/6 की जायदाद का पट्टा विलेख भी प्रस्तुत किया गया । चूंकी राजस्व रेकर्ड एवं मौके के अनुसार जो संपरिवर्तन की कार्यवाही यह प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही की जा चुकी है जिस संपरिवर्तन की कार्यवाही को चुनौती देने के अधिकार प्रार्थीगण के पास उपलब्ध हैं लेकिन प्रार्थीगण की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा उक्त संपरिवर्तन की कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गयी है जबकि प्रार्थीगण के पास उक्त उपचार उपलब्ध हैं। प्रार्थीगण खसरा संख्या 52 की कुल रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार हैं जिसकी भूमि की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी एवं नक्शे में तरमीम दर्ज हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव वर्तमान में पड़ना नहीं पाया जाता है हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने की संभावना जाहिर नहीं होती हैं ।

ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना प्रतीत होता है ऐसे मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।



(मुख्य कार्यालय एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी, जिला जोधपुर।